रजिस्टर्ड नं० एल० ३८८

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, बुधवार, 18 अप्रैल, 1973
चैत्र 28, 1895 शक संवत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग-1

संख्या 1260/सत्रह—वि-1-73

लखनऊ, 18 अप्रैल, 1973

विज्ञप्ति

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मंडल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश एक्साइज (संशोधन) विधेयक, 1973 पर दिनांक 15 अप्रैल, 1973 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13, 1973 के रूप में सर्वसाधारण के सूचनार्थ इस विज्ञप्ति द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश एक्साइज (संशोधन) अधिनियम, 1973

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13, 1973)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ।]

यूनाइटेड प्राविंसेज एक्साइज ऐक्ट, 1910 का अग्रेतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौबीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश एक्साइज (संशोधन) अधिनियम, 1973 कहलायेगा। संक्षिप्त नाम

2—यूनाइटेड प्राविंसेज एक्साइज ऐक्ट, 1910, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 62 में, शब्द "ऐसी अवधि के लिये कारावास का दंड दिया जायगा जो एक वर्ष तक हो सकता है अथवा अर्थ-दंड दिया जायगा जो दो हजार रुपये तक हो सकता है, या दोनों दंड दिये जायेंगे" के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात्:— यू० पी० ऐक्ट संख्या 4, 1910 की धारा 62 का संशोधन

"ऐसी अवधि के लिए कारावास का दंड दिया जायगा जो दो वर्ष तक हो सकती है तथा जो न्यायालय के निर्णय में उल्लिखित किन्हीं विपरीत विशेष तथा पर्याप्त कारणों के अभाव में छः माह से कम न होगी, और अर्थ-दंड भी दिया जा सकेगा जो दो हजार रुपये तक हो सकता है।"

धारा 69 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 69 में, उसके प्रथम प्रतिबन्धात्मक खंड में:—

(1) शब्द तथा अंक "धारा 62" निकाल दिये जायं;

(2) शब्द, अंक, अक्षर तथा कोष्ठक "धारा 60 के खंड (ख)" के स्थान पर शब्द, अंक, अक्षर तथा कोष्ठक "धारा 60 के खंड (ख) या धारा 62" रख दिये जायं ; और

(3) शब्द "छः माह" के स्थान पर शब्द "एक वर्ष" रख दिये जायं ।

(4) शब्द "या रहित", जहां कहीं भी आये हों निकाल दिये जायं ।

No. 1260(2)/XVIII-V—1-1973

Dated Lucknow, April 18, 1973

In pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Excise (Sanshodhan) Adhiniyam, 1973 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 13, 1973), as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on April 15, 1973:

THE UTTAR PRADESH EXCISE (AMENDMENT) ACT, 1973

[U. P. Act No. 13 of 1973]

(As passed by the Uttar Pradesh Vidhan Mandal)

An

ACT

further to amend the United Provinces Excise Act, 1910

It is hereby enacted in the Twenty-fourth Year of the Republic of India as follows:

Short title.

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Excise (Amendment) Act, 1973.

Amendment of section 62 of U. P. Act IV of 1910.

2. In section 62 of the United Provinces Excise Act, 1910, hereinafter referred to as the principal Act, *for* the words "imprisonment for a term which may extend to one year or with fine which may extend to two thousand rupees or with both", the following shall be *substituted,* namely :—

"imprisonment for a term which may extend to two years and in the absence of special and adequate reasons to the contrary to be mentioned in the judgment of the court, shall not be less than six months, and shall also be punishable with fine which may extend to two thousand rupees."

Amendment of section 69.

3. In section 69, of the principal Act, in the first proviso thereto,—

(i) the words and figures "section 62" shall be *omitted;*

(ii) *for* the words, figures, letters and brackets "clause (*b*) of section 60", the words, figures, letters and brackets "clause (*b*) of section 60 or section 62" shall be *substituted;* and

(iii) *for* the words "six months" the words "one year" shall be *substituted.*

(iv) the words "or without", wherever occurring, shall be *omitted.*

आज्ञा से,

कैलाश नाथ गोयल,

सचिव ।

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 24 गजट (हिन्दी)—1973 2,019+150 (मे०) ।